



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27062023-246827
CG-MH-E-27062023-246827

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445]
No. 445]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2023/आषाढ़ 6, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2023/ASHADHA 6, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 26 जून, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि)

(संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/134:— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम उन तारीखों से लागू होंगे, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित की जाएं:

परंतु यह कि विनियम 3 के उप-विनियम (XIII) और (XIV) में किए गए संशोधन राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

परंतु यह और कि विनियम 3 के उप-विनियम (I) के खंड (i), उप-विनियम (II), उप-विनियम (III), उप-विनियम (IV), उप-विनियम (VII) के खंड (ii) और उप-विनियम (XXIV) में किए गए संशोधन 1 अगस्त, 2023 से लागू होंगे, जबकि विनियम 3 के उप-विनियम (VII) के खंड (i) में किए गए संशोधन 1 जनवरी, 2024 से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में,—

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

i. खंड (ढ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

“(ढक) “लिक्विड नेटवर्थ” का अर्थ है — नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) का वह हिस्सा जो उन आस्तियों (असेट्स) में लगा हो जिनसे पैसा आसानी से निकाला जा सकता हो और जिन पर कोई ऋण-भार भी न हो उनका मूल्य, और जिनमें शामिल हैं - नकद में रखा गया पैसा, मुद्रा बाजार की लिखतें (मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट), सरकारी प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल (ट्रेजरी बिल), सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित रेपो और इस तरह के अन्य लिखत (इंस्ट्रूमेंट) जो बोर्ड समय-समय पर बताए।”

ii. खंड (थक) अब खंड (थख) बन जाएगा और इस प्रकार बने खंड (थख) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

“(थक) “एनएवी” या “शुद्ध आस्ति मूल्य” (नेट असेट वैल्यू) का अर्थ होगा - इन विनियमों के विनियम 48 के उप-विनियम (1) के अनुसार निकाला गया मूल्य;”

iii. खंड (म) में, चिन्हों और शब्दों “न्यासियों” से वह न्यासी बोर्ड या न्यासी कंपनी अभिप्रेत है जो यूनिटधारकों के फायदे के लिए न्यास में पारस्परिक निधि की संपत्ति रखता है।” के स्थान पर चिन्ह और शब्द “न्यासियों” का अर्थ उस न्यासी कंपनी से है, जो म्यूचुअल फंड की संपत्ति को यूनिटधारकों के फायदे के लिए न्यास (ट्रस्ट) में रखता है :” आ जाएंगे, और उसके बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

“परंतु यह कि यदि न्यासी (ट्रस्टी) न्यासी मंडल (न्यासी बोर्ड) के रूप में हों, तो वे इन संशोधन विनियमों के प्रावधान के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, बोर्ड से पूर्व मंजूरी लेकर, खुद को न्यासी कंपनी बनाएंगे।”

II. विनियम 7 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,—

“(क) प्रायोजक का पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा हो तथा उसके बारे में आम तौर पर यह राय हो कि समस्त कारोबारी लेनदेनों (ट्रान्जैक्शन) में पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी बरतता है।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ, “पिछला रिकॉर्ड अच्छा होने” का अर्थ यह है कि प्रायोजक, -

i. कम से कम पाँच वर्षों से वित्तीय सेवाएँ दे रहा है; और

ii. यह सुनिश्चित करे कि ठीक पहले के सभी पाँच वर्षों में शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) धनात्मक रही हो; और

iii. यह सुनिश्चित करे कि उसने आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) में जितना पैसा लगाया था उससे उसकी लिक्विड नेटवर्थ अधिक रही, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि शेयर खरीदे जाने के कारण यदि मौजूदा आस्ति प्रबंध कंपनी के नियंत्रण में कोई बदलाव आए, तो ऐसे में या तो प्रायोजक की लिक्विड नेटवर्थ या फिर उसने जितना पैसा

- लगाया, वह उन शेयरों के कुल सममूल्य (पार वैल्यू) या बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) [जो भी अधिक हो] के बराबर हो, जितने शेयरों को खरीदने का प्रस्ताव किया गया था; और
- iv. को ठीक पहले के सभी पाँच वर्षों में शुद्ध लाभ (मूल्यहास, ब्याज और कर की रकम घटाने के बाद) हुआ हो; और
- v. को ठीक पहले के पाँच वर्षों में कम से कम दस करोड़ रुपये का औसत शुद्ध वार्षिक लाभ (मूल्यहास, ब्याज और कर की रकम घटाने के बाद) हुआ हो:

परंतु यह कि खंड (क) के स्पष्टीकरण में जिन अपेक्षाओं का जिक्र किया गया है, यदि वे पूरी नहीं की जाती हैं तो प्रायोजक,-

- (i) आस्ति प्रबंध कंपनी में इतना पैसा लगाएगा कि आस्ति प्रबंध कंपनी की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) एक सौ पचास करोड़ रुपये से कम न रहे; और
- (ii) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा आस्ति प्रबंध कंपनी में लगाए गए कम से कम एक सौ पचास करोड़ रुपये के मूल्य की शुरूआती शेयरधारिता पाँच वर्षों की अवधि तक लॉक-इन रहे; और
- (iii) आस्ति प्रबंध कंपनी में अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति कुछ इस प्रकार करेगा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर), मुख्य संचालन अधिकारी (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर), मुख्य जोखिम अधिकारी (चीफ रिस्क ऑफिसर), मुख्य अनुपालन अधिकारी (चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर) और मुख्य निवेश अधिकारी (चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर) इन सबका मिलाकर कुल अनुभव कम से कम तीस वर्षों का हो; और
- (iv) यह सुनिश्चित करेगा कि यदि मौजूदा आस्ति प्रबंध कंपनी को खरीद (का अर्जन कर) लिया जाता है, तो प्रायोजक का लिक्विड नेटवर्थ उतना अवश्य रहे जितना बताया गया है और उसे बढ़ाकर इतना अवश्य कर दिया जाए कि आस्ति प्रबंध कंपनी के संदर्भ में निर्धारित अपेक्षा भी पूरी हो जाए और प्रायोजक का लिक्विड नेटवर्थ या फिर उसने जितना पैसा लगाया, वह उन शेयरों के कुल सममूल्य (पार वैल्यू) या बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) [जो भी अधिक हो] के बराबर हो, जितने शेयरों को खरीदने का प्रस्ताव किया गया था;
- (v) यह सुनिश्चित करेगा कि यदि किसी मौजूदा आस्ति प्रबंध कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी जाती है, तो ऐसे में कम से कम एक सौ पचास करोड़ रुपये के मूल्य के शेयर पाँच वर्षों तक लॉक-इन रहे; और
- (vi) यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन किया जाए:

परंतु यह और कि प्राइवेट इक्विटी फंड या पूलड इन्वेस्टमेंट व्हीकल (ऐसी एंटीटी जो अलग-अलग निवेशकों से पैसे इकट्ठा करती है और फिर उसका निवेश करती है) या फिर पूलड इन्वेस्टमेंट फंड (ऐसा कोई फंड जो अलग-अलग निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है और फिर उसका निवेश करता है) को भी म्यूचुअल फंडों का प्रायोजक (स्पांसर) बनने की अनुमति होगी, बशर्ते कि इसके लिए बोर्ड द्वारा समय-समय निर्धारित की गई दूसरी शर्तों का भी पालन किया जाए।”

III. विनियम 7ख के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“7ग (1) प्रायोजक आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) और म्यूचुअल फंड से अलग हो सकेगा, बशर्ते कि वह बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करे।

(2) यदि प्रायोजक उप-खंड (1) के अनुसार आस्ति प्रबंध कंपनी और म्यूचुअल फंड से अलग हो रहा हो, तो ऐसे में मौजूदा म्यूचुअल फंड की आस्ति प्रबंध कंपनी उस म्यूचुअल फंड के प्रायोजक के रूप में कार्य कर सकेगी, बशर्ते कि ऐसा बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार किया जाए और उसी प्रकार किया जाए जैसे बोर्ड द्वारा बताया गया हो।

(3) यदि प्रायोजक आस्ति प्रबंध कंपनी और म्यूचुअल फंड से अलग हो रहा हो, तो ऐसे में आस्ति प्रबंध कंपनी में किसी भी शेयरधारक की शेयरधारिता 10% से कम रहे।

(4) यदि प्रायोजक आस्ति प्रबंध कंपनी और म्यूचुअल फंड से अलग हो रहा हो, तो ऐसे में उस आस्ति प्रबंध कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) में से कम से कम दो-तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

(5) यदि आस्ति प्रबंध कंपनी उपरोक्त उप-खंड (2) के अनुसार निर्धारित की गई शर्तों को पूरा न कर पा रही हो, तो ऐसे में अलग हुआ प्रायोजक या कोई नई एंटीटी म्यूचुअल फंड का प्रायोजक बन सकेगी, बशर्ते कि इसके लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों को पूरा किया जाए।”

IV. विनियम 14 में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि प्रायोजक के अलग हो जाने की स्थिति में, न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) पर कौन हस्ताक्षर करेगा यह बोर्ड द्वारा बताया जाएगा।”

V. विनियम 16 में, उप-विनियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(7) यदि किसी कंपनी को म्यूचुअल फंड के न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उस न्यासी कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा:

परंतु यह कि ऐसी कोई न्यासी कंपनी जिसे किसी म्यूचुअल फंड के न्यासी के रूप में पहले से ही नियुक्त किया हुआ हो, वह इस उप-विनियम का पालन उतनी अवधि के भीतर करेगी जितनी बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताई जाए।”

VI. विनियम 18 में,-

i. उप-विनियम (4) हट जाएगा;

ii. उप-विनियम (4क) हट जाएगा;

iii. उप-विनियम (5) में शब्दों और चिह्न “न्यासी सुनिश्चित करेंगे कि आस्ति प्रबंध कंपनी दलालों को पैनलित करने, दलालों के साथ प्रतिभूति संव्यवहारों का अनुश्रवण करने और किसी दलाल के साथ कारबार के अनुचित संकेद्रण को दूर करने में तत्पर है।” के स्थान पर शब्द और चिह्न “न्यासी आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा दलालों को सूची में शामिल किए जाने हेतु निर्धारित की गई नीति को मंजूरी प्रदान करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आस्ति प्रबंध कंपनी दलालों को सूची में शामिल करते समय पूरी सतर्कता बरते, दलालों के साथ किए जा रहे प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के लेनदेन पर पूरी सतर्कता से नज़र रखे और इस बात का ध्यान रखे कि अनुचित तरीके से कुछेक दलालों के साथ ही ज्यादातर कारोबार न होने लगे।” आ जाएंगे।

iv. उप-विनियम (14) में शब्दों “न्यासी पारस्परिक निधि को संदत्त की जाने के लिए शोधय किसी आय की और इन विनियमों और न्यास विलेख के अनुसार किसी स्कीम के यूनिट धारकों के लिए पारस्परिक निधि में प्राप्त किसी आय की भी संगणना के लिए उत्तरदायी होंगे” के स्थान पर शब्द और चिह्न “न्यासी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन विनियमों के विनियम 25 के उप-विनियम (25) के अनुसार आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा आय की जो गणना की है वह इन विनियमों और न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) के अनुसार की गई हो” आ जाएंगे।

v. उप-विनियम (15क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(15क) न्यासी यह सुनिश्चित करेंगे कि आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा, इन विनियमों के विनियम 25 के उप-विनियम (26) का पालन किए बिना, किसी स्कीम की बुनियादी विशेषताओं में, देय फीस में और खर्चों में कोई भी बदलाव न किया जाए या फिर ऐसा कोई बदलाव न किया जाए जिससे स्कीम में बदलाव हो जाए और जिससे यूनिटधारकों के हित पर असर पड़े।”

vi. उप-विनियम (19) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(19) न्यासी अभिरक्षा (कस्टडी) की व्यवस्था हेतु किए गए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की समय-समय पर समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट यूनिटधारकों के हित को ध्यान में रखकर किए जाएं।”

vii. उप-विनियम (25) में, खंड-ख के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“ग. न्यासी उन मामलों के संबंध में भी पूरी सतर्कता बरतेंगे, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताए जाएं।”

VII. विनियम 21 में, उप-विनियम (1) में,

(i) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(च) आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) कम से कम पचास करोड़ रुपये की हो जो उन आस्तियों (असेट) में लगी हो, जो बोर्ड द्वारा बताई जाए:

परंतु यह कि जहाँ प्रायोजक (स्पॉन्सर) आवेदन करते समय विनियम 7 के खंड (क) के स्पष्टीकरण के भाग (i) से (v) में दी हुई अपेक्षाओं को पूरा न करता हो, वहाँ आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) से यह अपेक्षित होगा कि उसकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) एक सौ करोड़ रुपये से कम की न हो, जो उन आस्तियों में लगी हो, जो बोर्ड द्वारा बताई जाए, और आस्ति प्रबंध कंपनी इतनी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) तब तक बनाए रखेगी जब तक कि उसे लगातार पाँच वर्षों तक लाभ न हो:

परंतु यह और कि ऐसे म्यूचुअल फंड की आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) दस करोड़ रुपये से कम की नहीं होगी, जो केवल अवसंरचना ऋण निधि स्कीमें (इन्फ्रास्ट्रक्चर डैट फंड स्कीम) लाने के लिए पात्र है।

स्पष्टीकरण: आस्ति प्रबंध कंपनी की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) की गणना करते समय उन ऋणों और अग्रिमों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा, जो उसके प्रायोजक, उसके प्रायोजक के सहयोगियों (सहयुक्तों / असोसिएट) या उसकी समूह कंपनी (ग्रुप कंपनी) और आस्ति प्रबंध कंपनी के सहयोगियों या उसकी समूह कंपनी को दिए गए हों।

(ii) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(छ) आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) हमेशा इस विनियम के खंड (च) के अनुसार बनी रहे, और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रायोजक की होगी।”

VIII. विनियम 25 में,-

i. उप-विनियम (6क) में, स्पष्टीकरण हट जाएगा;

ii. उप-विनियम (6ग) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(6घ) आस्ति प्रबंध कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि आस्ति प्रबंध कंपनी का समस्त कामकाज इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही चले”;

iii. उप-विनियम (21) के बाद, निम्नलिखित नए उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“(22) आस्ति प्रबंध कंपनी का निदेशक मंडल निम्नानुसार पूरी सतर्कता बरतेगा:

(क) आस्ति प्रबंध कंपनी का निदेशक मंडल कोई स्कीम लाने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि आस्ति प्रबंध कंपनी, -

(i) के यहाँ बैंक ऑफिस की, डीलिंग रूम की और बही-खाते तैयार करने की पर्याप्त व्यवस्था हो;

(ii) के यहाँ सभी ‘प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों’ [जिनमें स्कीम (स्कीमों) के निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर) भी शामिल हैं] की नियुक्ति कर ली जाए, और आस्ति प्रबंध कंपनी, उन्हें नियुक्त किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, न्यासियों (ट्रस्टीज़) के पास उनके बायो-डाटा [जिनमें उनकी शैक्षणिक योग्यताएँ और प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में उनके पिछले अनुभव के ब्यौरे दिए हुए हों] प्रस्तुत कर दे;

(iii) के यहाँ लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) की नियुक्ति कर ली जाए, ताकि उसके बही-खातों की लेखापरीक्षा (ऑडिट) की जा सके;

(iv) के यहाँ एक अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर) की नियुक्ति कर ली जाए, जिस पर अधिनियम, नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स), बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों, अनुदेशों, आदि के पालन पर और निवेशकों की शिकायतों के निवारण पर नज़र रखने की जिम्मेदारी हो;

(v) के यहाँ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 के तहत रजिस्टर हुए किसी निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू एन इश्यू) और शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट) की नियुक्ति कर ली जाए, और उन पर नज़र रखने हेतु मानदंड भी निर्धारित कर लिए जाएँ;

(vi) के यहाँ प्रावधानों आदि के पालन के संबंध में नियम-पुस्तिका (मैनुअल) तैयार कर ली जाए और आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्थाएँ [जिनमें आंतरिक लेखापरीक्षा (इंटरनल ऑडिट) की व्यवस्थाएँ भी शामिल हैं] निर्धारित कर ली जाएँ;

(vii) के यहाँ दलालों और मार्केटिंग एजेंटों को सूची में शामिल करने हेतु मानदंड निर्धारित कर लिए जाएँ;

(viii) द्वारा, इन विनियमों के अनुसार जहाँ कहीं भी जरूरी हो, उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (उन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों) से सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही ले ली जाए, जहाँ यूनितेड सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो ।

(ख) आस्ति प्रबंध कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि -

(i) आस्ति प्रबंध कंपनी दलालों को सूची में शामिल करते समय पूरी सतर्कता बरते, दलालों के साथ किए जा रहे प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के लेनदेन पर पूरी सतर्कता से नज़र रखे और इस बात का ध्यान रखे कि अनुचित तरीके से कुछेक दलालों के साथ ही ज़्यादातर कारोबार न होने लगे;

- (ii) आस्ति प्रबंध कंपनी किसी सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) को अनुचित तरीके से कोई फायदा न पहुँचाए या अपने किसी सहयोगी के साथ इस प्रकार लेनदेन न करे कि उससे यूनिटधारकों के हित पर कोई आँच आ जाए;
- (iii) आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा लेनदेन इन विनियमों और संबंधित स्कीमों के अनुसार ही किए जाएँ।
- (iv) म्यूचुअल फंड द्वारा लेनदेन न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) के अनुसार ही किए जाएँ;
- (v) आस्ति प्रबंधक कंपनी की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाए, ताकि विनियम 21 के उप-विनियम (1) के खंड (च) में बताई गई सीमा का सदैव पालन सुनिश्चित होता रहे;
- (vi) सभी सर्विस कॉण्ट्रैक्ट [जैसे आस्तियों (असेट्स) को संभालकर (कस्टडी में) रखने की व्यवस्थाओं और प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की ट्रांसफर एजेंसी से संबंधित] यूनिटधारकों के हित को ध्यान में रखकर किए जाएँ;
- (vii) आस्ति प्रबंध कंपनी अपनी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) का निवेश जिस भी तरीके से करे, उससे यूनिटधारकों के हितों पर कोई आँच न आए;
- (viii) निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा की जाए और उनका निवारण किया जाए;
- (ix) सभी सेवा प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाइडर) बोर्ड या संबंधित विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) के यहाँ रजिस्टर हों;
- (x) यदि म्यूचुअल फंड में कुछ भी विशेष घटे, तो उसकी जानकारी न्यासियों को तुरंत दी जाए;
- (xi) आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा न्यासियों के पास प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें तैयार करते समय पूरी सतर्कता बरती जाए;
- (xii) उन मामलों के संबंध में पूरी सतर्कता बरती जाए, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।
- (23) उप-विनियम (22) के खंड (क) के उप-खंड (iv) के अनुसार नियुक्त किए गए अनुपालन अधिकारी को यदि यह पता चले कि कहीं किसी प्रावधान आदि का पालन नहीं हुआ है, तो ऐसे में वह इसकी जानकारी बोर्ड को स्वतंत्र रूप से और तुरंत देगा।
- (24) आस्ति प्रबंध कंपनी उसी रूप में और उसी प्रकार तथा उसी उद्देश्य से एक 'यूनिटधारक संरक्षण समिति' गठित करेगी, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।
- (25) आस्ति प्रबंध कंपनी की यह जिम्मेदारी होगी कि म्यूचुअल फंड में प्राप्त होने वाली और प्राप्त हुई किसी रकम की गणना, म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम के यूनिटधारकों के लिए, इन विनियमों और न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) के अनुसार की जाए।
- (26) आस्ति प्रबंध कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि तब तक न तो किसी स्कीम की बुनियादी विशेषताओं या न्यास (ट्रस्ट) में, देय फीस में और खर्चों में कोई भी बदलाव किया जाए या फिर ऐसा कोई बदलाव किया जाए जिससे स्कीम में बदलाव हो जाए और जिससे यूनिटधारकों के हित पर असर पड़े, जब तक कि,-

(i) प्रत्येक यूनिटधारक के पास प्रस्तावित बदलाव की लिखित सूचना न भेज दी जाए और साथ ही पूरे भारत में परिचालित होने वाले एक अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र में और उस प्रदेश की भाषा में प्रकाशित होने वाले एक समाचारपत्र में एक विज्ञापन जारी न कर दिया जाए, जहाँ म्यूचुअल फंड का मुख्यालय स्थित हो; और

(ii) यूनिटधारकों को मौजूदा शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) पर अपना पैसा निकालने का विकल्प न प्रदान कर दिया जाए, और जिसके लिए कोई शुल्क (एग्जिट लोड) न लिया जाए।”

IX. विनियम 25 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“न्यासी (ट्रस्टी) कंपनी के निदेशक मंडल और आस्ति प्रबंध कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक

25क. न्यासी कंपनी के निदेशक मंडल और आस्ति प्रबंध कंपनी के निदेशक मंडल (जिनमें उनकी समितियाँ भी शामिल हैं) की बैठक उतने-उतने समय में होगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।”

X. विनियम 31क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से सैद्धांतिक मंजूरी लेना

31क. म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम की यूनिटों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने के लिए, उस म्यूचुअल फंड की आस्ति प्रबंध कंपनी सभी जरूरी कदम उठाएगी और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से ‘सैद्धांतिक मंजूरी’ उसी प्रकार लेगी जैसा उस एक्सचेंज (उन एक्सचेंजों) द्वारा समय-समय पर बताया जाए।”

XI. विनियम 31ख में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(1) म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम की यूनिटों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने से पहले, उस म्यूचुअल फंड की आस्ति प्रबंध कंपनी उस एक्सचेंज (उन एक्सचेंजों) के साथ करार करेगी।”

XII. विनियम 38 हट जाएगा।

XIII. विनियम 43 में, उप-विनियम (6) के बाद निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(7) ई.एस.जी. संबंधी स्कीमों के तहत जुटाए गए पैसे का निवेश उसी प्रकार किया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।”

XIV. विनियम 43 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि (कारपोरेट डैट मार्केट डेवलपमेंट फंड) में निवेश

43क. (1) म्यूचुअल फंड उन वर्गों की म्यूचुअल फंड स्कीमों की शुद्ध आस्तियों (नेट असेट्स) के उतने प्रतिशत हिस्से का निवेश कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि की यूनिटों में करेंगे, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(2) म्यूचुअल फंडों की आस्ति प्रबंध कंपनियाँ प्रबंधनाधीन आस्तियों (असेट अंडर मैनेजमेंट) के उतने प्रतिशत हिस्से का निवेश कंपनी ऋण बाजार विकास निधि की यूनिटों में करेंगी, जितना बोर्ड द्वारा बताया जाए।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, “कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छक) में इसके लिए दिया हुआ है।”

XV. विनियम 46 हट जाएगा।

XVI. विनियम 47 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“निवेश का मूल्यांकन

47. आस्ति प्रबंध कंपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम (स्कीमों) द्वारा किए गए निवेश की गणना करेगी तथा उसका मूल्यांकन आठवीं अनुसूची में निवेश के मूल्यांकन हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार करेगी और उन्हें प्रकाशित करेगी।”

XVII. विनियम 48 में, उप-विनियम (1) में शब्दों और चिह्न “प्रत्येक पारस्परिक निधि हर एक स्कीम के शुद्ध आस्ति मूल्य की संगणना स्कीम की शुद्ध आस्तियों को मूल्यांकन तारीख को बकाया यूनिटों की संख्या से विभाजित करते हुए करेगी।” के स्थान पर शब्द और चिह्न “प्रत्येक आस्ति प्रबंध कंपनी किसी स्कीम का एन.ए.वी. (शुद्ध आस्ति मूल्य) निकालने के लिए, उस स्कीम की शुद्ध आस्तियों (नेट असेट्स) को उसकी यूनिटों की संख्या (जितनी मूल्यांकन की तारीख को हों) से विभाजित करेगी।” आ जाएंगे।

XVIII. विनियम 49 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों तथा चिह्नों “पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड)” के स्थान पर शब्द “आस्ति प्रबंध कंपनी” आ जाएंगे।

XIX. विनियम 53 में, शब्द “पारस्परिक निधि और” हट जाएंगे।

XX. विनियम 56 में, उप-विनियम (3) में, शब्दों तथा चिह्नों “पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड)” के स्थान पर शब्द “आस्ति प्रबंध कंपनी” आ जाएंगे।

XXI. विनियम 57 में शब्दों और चिह्न “प्रत्येक पारस्परिक निधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बंद होने की तारीख से चार मास के भीतर बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति और अन्य जानकारी जिसके अंतर्गत विनिधानों के ब्यौरे और पारस्परिक निधि द्वारा धारित जमाराशियां भेजेगी ताकि पारस्परिक निधियों का संपूर्ण स्कीमवार संविभाग बोर्ड को प्रकट हो पाए।” के स्थान पर शब्द और चिह्न “प्रत्येक आस्ति प्रबंध कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से चार महीनों के भीतर बोर्ड के पास वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति और अन्य जानकारी (जिसमें यह बताया गया होगा कि म्यूचुअल फंड द्वारा कहाँ-कहाँ निवेश किया गया है और उसके पास कितना डिपॉजिट है) भिजवाएगी, ताकि बोर्ड को म्यूचुअल फंडों की सभी स्कीमों के पोर्टफोलियो की पूरी जानकारी रहे।” आ जाएंगे।

XXII. विनियम 59क में, शब्दों तथा चिह्नों “पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड)” के स्थान पर शब्द “आस्ति प्रबंध कंपनी” आ जाएंगे।

XXIII. पहली अनुसूची में, प्ररूप-ग में,-

i. खंड (1) में, शब्द “न्यास कंपनी”, जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर शब्द “न्यासी कंपनी” आ जाएंगे;

ii. खंड (3) हट जाएगा।

XXIV. सातवीं अनुसूची में, खंड-9 में, उप-खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि प्राइवेट इक्विटी फंड या पूलड इन्वेस्टमेंट व्हीकल (ऐसी एंटीटी जो अलग-अलग निवेशकों से पैसे इकट्ठा करती है और फिर उसका निवेश करती है) या पूलड इन्वेस्टमेंट फंड (ऐसा कोई फंड जो अलग-

अलग निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है और फिर उसका निवेश करता है) जो म्यूचुअल फंड के प्रायोजक हों, उनके मामले में, सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) या समूह (ग्रुप) कंपनी में निम्नलिखित भी शामिल होंगे,-

- (क) किसी पूलड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के प्रबंधक की सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) या समूह कंपनी; या
- (ख) ऐसी कंपनियाँ जिनमें निवेश किया जाए (इन्वेस्टी कंपनी) और जिनके दस प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर उन स्कीमों या फंडों के पास हों जिनका प्रबंधन पूलड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के प्रबंधक द्वारा किया जा रहा हो; या
- (ग) ऐसी कोई कंपनी जिसमें निवेश किया जाए, और जिसके दस प्रतिशत से अधिक के शेयर पूलड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के पास हों अथवा जिसके बोर्ड में पूलड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के निदेशक या कारपोरेट प्रायोजक (स्पॉन्सर) शामिल हों अथवा उनके पास बोर्ड में प्रतिनिधियों को नामित करने का अधिकार हो।”

XXV. आठवीं अनुसूची में, खंड (छ) में, शब्दों और चिह्नों “से विचलित होगी” के स्थान पर शब्द “में बदलाव करेगी” आ जाएंगे, और परंतुक में शब्दों और चिह्नों “प्रकट की गयी मूल्यांकन नीति एवं प्रक्रियाओं से किसी विचलन को अनुज्ञात किया जा सकेगा, न्यासी बोर्ड तथा आस्ति प्रबंध कंपनी के बोर्ड को समुचित रिपोर्टिंग करते हुए और विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को समुचित प्रकटीकरण करते हुए।” के स्थान पर शब्द और चिह्न “मूल्यांकन हेतु पहले से निर्धारित की गई नीतियों और प्रक्रियाओं में बदलाव किया जा सकेगा, लेकिन इसकी जानकारी न्यासी कंपनी के निदेशक मंडल और आस्ति प्रबंध कंपनी के निदेशक मंडल को सही ढंग से देनी होगी और इसकी जानकारी निवेशकों को भी स्पष्ट तौर पर देनी होगी।” आ जाएंगे।

XXVI. ग्यारहवीं अनुसूची में,-

- i. खंड-1 में, उप-खंड (i) और उप-खंड (iv) में, शब्दों “न्यासी बोर्ड” के स्थान पर शब्द “न्यासी कंपनी” आ जाएंगे;
- ii. खंड-5 में, उप-खंड (i) में शब्दों “लेखापरीक्षक न्यासी बोर्ड को न कि यूनिट धारकों को रिपोर्ट देगा” के स्थान पर शब्द “लेखापरीक्षक न्यासी कंपनी को रिपोर्ट देगा, न कि यूनिटधारक को” आ जाएंगे।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./225/2023-24]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 856(अ), 9 दिसम्बर 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् –
 - (1) 15 अप्रैल 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा

- (2) 12 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 32 (अ), द्वारा
- (3) 8 दिसम्बर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 1223 (अ), द्वारा
- (4) 14 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 235 (अ), द्वारा
- (5) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा
- (6) 22 मई 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 484 (अ), द्वारा
- (7) 23 जनवरी 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा
- (8) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा
- (9) 23 जुलाई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा
- (10) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 219 (अ), द्वारा
- (11) 11 जून 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 625 (अ), द्वारा
- (12) 30 जुलाई 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 809 (अ), द्वारा
- (13) 9 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं.956 (अ), द्वारा
- (14) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं.1045 (अ), द्वारा
- (15) 29 मई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं.632 (अ), द्वारा
- (16) 12 जनवरी 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/4/2004, द्वारा
- (17) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा

- (18) 12 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 38(अ), द्वारा
- (19) 22 मई 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 783(अ), द्वारा
- (20) 3 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1254(अ), द्वारा
- (21) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/82534/2006, द्वारा
- (22) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/83065/2006, द्वारा
- (23) 28 मई 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2518, द्वारा
- (24) 31 अक्तूबर 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4646, द्वारा
- (25) 31 मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा
- (26) 16 अप्रैल 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. एलएजी-एनआरओ/जीएन/2008/03/123042, द्वारा
- (27) 22 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एल.ए.डी.-एन.एन.ओ./जी.एन./2008/09/126202, द्वारा
- (28) 29 सितम्बर 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/24/ 139426, द्वारा
- (29) 8 अप्रैल 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/01/ 159601, द्वारा
- (30) 5 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/07/165404, द्वारा
- (31) 29 जुलाई 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/13/13945, द्वारा
- (32) 30 अगस्त 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/22/27668, द्वारा
- (33) 21 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/38/4290, द्वारा

- (34) 26 सितम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/17/21502, द्वारा
- (35) 16 अप्रैल 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2013, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/03/5652, द्वारा
- (36) 19 जून 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/12/6108, द्वारा
- (37) 19 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/18/6384, द्वारा
- (38) 6 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/01/1039, द्वारा
- (39) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (40) 30 दिसम्बर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एलएडी-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/19/ 1973, द्वारा
- (41) 15 मई 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/005, द्वारा
- (42) 12 फरवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/034, द्वारा
- (43) 15 फरवरी 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/031, द्वारा
- (44) 13 मार्च 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/02, द्वारा
- (45) 30 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/14, द्वारा
- (46) 6 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/50, द्वारा
- (47) 13 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/51, द्वारा
- (48) 1 जनवरी 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/01, द्वारा
- (49) 26 अप्रैल 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/011, द्वारा

- (50) 23 सितम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/37, द्वारा
- (51) 6 मार्च 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/07, द्वारा
- (52) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (53) 29 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/39, द्वारा
- (54) 4 फरवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/08, द्वारा
- (55) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- (56) 5 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/36, द्वारा
- (57) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/56, द्वारा
- (58) 25 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/70, द्वारा
- (59) 3 अगस्त, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/92, द्वारा
- (60) 16 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/106, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th June, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS)

(AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/134 — In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, namely—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2023.

2. They shall come into force on such dates as the Board may by notification in the Official Gazette appoint:

Provided that the amendments to sub-regulations (XIII) and (XIV) of Regulation 3 shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided further that the amendments to clause (i) of sub-regulation (I), sub-regulation (II), sub-regulation (III), sub-regulation (IV), clause (ii) of sub-regulation (VII) and sub-regulation (XXIV) of Regulation 3 shall come into force with effect from August 1, 2023, while the amendments to clause (i) of sub-regulation (VII) of Regulation 3 shall come into force with effect from January 1, 2024.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996,—

I. in regulation 2, sub-regulation (1),

i. after clause (n), the following clause shall be inserted, namely,-

“(na) “Liquid networkth” means the networkth deployed in liquid assets which are unencumbered and shall include cash, money market instruments, Government Securities, Treasury bills, Repo on Government securities and any other like instruments as specified by the Board from time to time.”

ii. clause (qa) shall be renumbered as clause (qb) and before the clause so renumbered, the following clause shall be inserted, namely,-

“(qa) “NAV” or “Net Asset Value” shall mean the value computed in the manner provided in sub-regulation (1) of regulation 48 of these regulations;”

iii. in clause (y), the words and symbols “ “trustees” mean the Board of Trustees or the Trustee Company who hold the property of the Mutual Fund in trust for the benefit of the unit holders;” shall be substituted with the words and symbols “ “trustees” mean the trustee company that holds the property of the mutual fund in trust for the benefit of the unit holders:” and thereafter the following proviso shall be inserted, namely,—

“ Provided that trustees in the form of a board of trustees shall convert to a trustee company within a period of one year from the date of notification of the provision of these amendment regulations, with the prior approval of the Board.”

II. in regulation 7, clause (a) shall be substituted with the following, namely,-

“(a) the sponsor should have a sound track record and general reputation of fairness and integrity in all business transactions.

Explanation: For the purposes of this clause “sound track record” shall mean the sponsor should,—

- i. be carrying on business in financial services for a period of not less than five years; and
- ii. ensure that the networkth is positive in all the immediately preceding five years; and
- iii. ensure that the positive liquid networkth is more than the proposed capital contribution of the sponsor in the asset management company and ensure that in case of change in control of the existing asset management company due to acquisition of shares, the positive liquid net worth of the sponsor or funds tied up by the sponsor is to the extent of aggregate par value or market value of the shares proposed to be acquired, whichever is higher; and
- iv. have net profit after providing for depreciation, interest and tax in each of the immediately preceding five years; and
- v. have average net annual profit after depreciation, interest and tax during the immediately preceding five years of at least rupees ten crore:

Provided that if the requirements specified under Explanation to clause (a) are not fulfilled, the sponsor shall,-

- (i) adequately capitalize the asset management company such that the net worth of the asset management company is not less than rupees one hundred fifty crore; and

- (ii) ensure that the initial shareholding equivalent to capital contributed to the asset management company to the extent of not less than rupees one hundred fifty crore is locked-in for a period of five years; and
- (iii) appoint experienced personnel in asset management company such that the total combined experience of Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Chief Investment Officer should be at least thirty years; and
- (iv) ensure that in case of acquisition of existing asset management company, the sponsor shall have minimum positive liquid net worth equal to incremental capitalization required to ensure minimum capitalization of the asset management company and the positive liquid net worth of the sponsor or the funds tied up by the sponsor are to the extent of aggregate par value or market value of the shares proposed to be acquired, whichever is higher; and
- (v) ensure that in case of acquisition of stake in an existing asset management company, the shareholding equivalent to at least rupees one hundred fifty crore shall be locked in for five years; and
- (vi) ensure that other conditions in this regard as may be specified by the Board from time to time are adhered to:

Provided further that a private equity fund or a pooled investment vehicle or a pooled investment fund may also be permitted to sponsor mutual funds subject to such other conditions as may be specified by the Board from time to time."

III. After regulation 7B, the following regulation shall be inserted, namely,-

"7C (1) The sponsor may be permitted to disassociate from the asset management company and the mutual fund subject to such conditions as may be specified by the Board.

(2) In the event of the sponsor disassociating itself from the asset management company and the mutual fund as specified in sub-clause (1) above, the asset management company of the existing mutual fund may act as sponsor of the same mutual fund subject to such conditions and in the form and manner as may be specified by the Board.

(3) In the event of the disassociation of the sponsor from the asset management company and the mutual fund, the shareholding for any shareholder in the asset management company shall be below 10%.

(4) In the event of the sponsor disassociating itself from the asset management company and the mutual fund, the board of directors of such asset management company shall have at least two third independent directors.

(5) If the asset management company fails to fulfill the conditions specified under sub-clause (2) above, the dissociated sponsor or any new entity may become sponsor of the mutual fund subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time."

IV. in regulation 14, the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that in case of disassociation of the sponsor, the signatory to the trust deed shall be as specified by the Board."

V. In regulation 16, after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-

"(7) In case a company is appointed as the trustee of a mutual fund, the Chairperson of the board of directors of that trustee company shall be an independent director:

Provided that a trustee company, already appointed as the trustee of a mutual fund shall comply with this sub-regulation within a period as may be specified by the Board from time to time."

VI. In regulation 18,-

- i. sub-regulation (4) shall be omitted;
- ii. sub-regulation (4A) shall be omitted;

- iii. in sub-regulation (5), after the words “trustees shall” the words “approve the policy for empanelment of brokers by the asset management company and shall” shall be inserted;
- iv. in sub-regulation (14), the words “be responsible for the calculation of any income due to be paid to the mutual fund and also of any income received in the mutual fund for the holders of the units of any scheme” shall be substituted with the words “ensure that the income calculated by the asset management company under sub-regulation (25) of regulation 25 of these regulations is”;
- v. sub-regulation (15A) shall be substituted with the following, namely,-
“(15A) The trustees shall ensure that no change in the fundamental attributes of any scheme, the fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme and affect the interest of the unit holders is carried out by the asset management company, unless it complies with sub-regulation (26) of regulation 25 of these regulations.”;
- vi. sub-regulation (19) shall be substituted with the following, namely,-
“(19) The trustees shall periodically review the service contracts relating to custody arrangements and satisfy themselves that such contracts are executed in the interest of the unit holders.”;
- vii. in sub-regulation (25), after clause B, the following clause shall be inserted, namely,-
“C. The trustees shall also exercise due diligence on such matters as may be specified by the Board from time to time.”
- VII. in regulation 21, in sub-regulation (1),
- (i) clause (f) shall be substituted with the following clause, namely,-
“(f) the asset management company has a networth of not less than rupees fifty crore deployed in assets as may be specified by the Board:
Provided that where the sponsor does not fulfil the requirements provided in part (i) to (v) of the Explanation to clause (a) of regulation 7 at the time of making application, the asset management company shall be required to have a networth of not less than rupees one hundred crore deployed in assets as may be specified by the Board and the asset management company shall maintain such networth till it has profits for five consecutive years:
Provided further that an asset management company of a mutual fund eligible to launch only infrastructure debt fund schemes, shall have a networth of not less than rupees ten crore.
Explanation: Loans and advances given by asset management company to either sponsor, associates or group company of sponsor and associates or group company of asset management company shall be excluded while computing the networth of the asset management company.”
- (ii) clause (g) shall be substituted with the following clause, namely,-
“(g) the networth of the asset management company as required under clause (f) of this regulation shall be maintained on a continuous basis and it shall be the responsibility of the sponsor to ensure the same.”
- VIII. In regulation 25,-
- i. in sub-regulation (6A), the *Explanation* shall be omitted;
- ii. after sub-regulation (6C), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-
“(6D) The board of directors of the asset management company shall ensure that all the activities of the asset management company are in accordance with the provisions of these regulations.”
- iii. after sub-regulation (21), the following new sub-regulations shall be inserted, namely,-
“(22) The board of directors of the asset management company shall exercise due diligence as follows:

- (a) The board of directors of the asset management company shall ensure before the launch of any scheme that the asset management company has-
- (i) systems in place for its back office, dealing room and accounting;
 - (ii) appointed all key personnel including fund manager(s) for the scheme(s) and submitted their bio-data which shall contain the educational qualifications and past experience in the securities market with the Trustees, within fifteen days of their appointment;
 - (iii) appointed auditors to audit its accounts;
 - (iv) appointed a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions, etc., issued by the Board or the Central Government and for redressal of investors grievances;
 - (v) appointed a registrar to an issue and share transfer agent registered under the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 and laid down parameters for their supervision;
 - (vi) prepared a compliance manual and designed internal control mechanisms including internal audit systems;
 - (vii) specified norms for empanelment of brokers and marketing agents;
 - (viii) obtained, wherever required under these regulations, prior in principle approval from the recognized stock exchange(s) where units are proposed to be listed.
- (b) The board of directors of the asset management company shall ensure that -
- (i) the asset management company has been diligent in empanelling the brokers, in monitoring securities transactions with brokers and avoiding undue concentration of business with specific brokers;
 - (ii) the asset management company has not given any undue or unfair advantage to any associate or dealt with any of the associate of the asset management company in any manner detrimental to interest of the unit holders;
 - (iii) the transactions entered into by the asset management company are in accordance with these regulations and the respective schemes;
 - (iv) the transactions of the mutual fund are in accordance with the provisions of the trust deed;
 - (v) the networth of the asset management company are reviewed on a quarterly basis to ensure compliance with the threshold provided in clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 21 on a continuous basis;
 - (vi) all service contracts including custody arrangements of the assets and transfer agency of the securities are executed in the interest of the unit holders;
 - (vii) there is no conflict of interest between the manner of deployment of the networth of the asset management company and the interest of the unit holders;
 - (viii) the investor complaints received are periodically reviewed and redressed;
 - (ix) all service providers are holding appropriate registrations with the Board or with the concerned regulatory authority;
 - (x) any special developments in the mutual fund are immediately reported to the trustees;
 - (xi) there has been exercise of due diligence on the reports submitted by the asset management company to the trustees;

(xii) there has been exercise of due diligence on such matters as may be specified by the Board from time to time.

(23) The compliance officer appointed under sub-clause (iv) of clause (a) of sub-regulation (22) shall independently and immediately report to the Board any non-compliance observed by him.

(24) The asset management company shall constitute a Unit Holder Protection Committee in the form and manner and with a mandate as may be specified by the Board.

(25) The asset management company shall be responsible for calculation of any income due to be paid to the mutual fund and also any income received in the mutual fund, for the unit holders of any scheme of the mutual fund, in accordance with these regulations and the trust deed.

(26) The asset management company shall ensure that no change in the fundamental attributes of any scheme or the trust, fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme and affect the interest of unit holders, shall be carried out unless,—

(i) a written communication about the proposed change is sent to each unit holder and an advertisement is issued in one English daily newspaper having nationwide circulation as well as in a newspaper published in the language of region where the Head Office of the mutual fund is situated; and

(ii) the unit holders are given an option to exit at the prevailing Net Asset Value without any exit load.”

IX. After regulation 25, the following regulation shall be inserted, namely,-

“Meeting of the board of directors of the trustee company and the board of directors of the asset management company.

25A. The board of directors of the trustee company and the board of directors of the asset management company, including any of their committees, shall meet at such frequency as may be specified by the Board from time to time.”

X. Regulation 31A shall be substituted with the following, namely,-

“In-principle approval from recognised stock exchange(s).

31A. For listing of units of any scheme of a mutual fund on the recognised stock exchange(s), the asset management company of that mutual fund shall take all necessary steps and obtain the ‘in-principle’ approval from the recognised stock exchange(s) in the manner as specified by such exchange(s) from time to time.”

XI. In regulation 31B, sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely,-

“(1) Before listing of units of any scheme of mutual fund on the recognised stock exchange(s), the asset management company of that mutual fund shall execute an agreement with such exchange(s).”

XII. Regulation 38 shall be omitted.

XIII. In regulation 43, after sub-regulation (6), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(7) Moneys collected under Environmental, Social and Governance schemes shall be invested in the manner as specified by the Board from time to time.”

XIV. After regulation 43, the following regulation shall be inserted, namely,-

“Investment in Corporate Debt Market Development Fund.

43A. (1) Mutual funds shall invest such percentage of net assets of such categories of mutual fund schemes as may be specified by the Board in the units of the Corporate Debt Market Development Fund.

(2) The asset management companies of the mutual funds shall invest such percentage of assets under management as may be specified by the Board in the units of Corporate Debt Market Development Fund.

Explanation: For the purpose of this regulation “Corporate Debt Market Development Fund” shall have the same meaning assigned to it under clause (ga) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.”

XV. Regulation 46 shall be omitted.

XVI. Regulation 47 shall be substituted with the following, namely,-

“Valuation of investments.

47. The asset management company shall compute and carry out valuation of investments made by the scheme(s) of the mutual fund in accordance with the investment valuation norms specified in the Eighth Schedule and publish the same.”

XVII. In regulation 48, in sub-regulation (1), the words “mutual fund” shall be substituted with the words “asset management company”.

XVIII. In regulation 49, in sub-regulation (2), the words “mutual fund” shall be substituted with the words “asset management company”.

XIX. In regulation 53, the words “mutual fund and” shall be omitted.

XX. In regulation 56, in sub-regulation (3), the words “mutual fund” shall be substituted with the words “asset management company”.

XXI. In regulation 57, the words “Every mutual fund” shall be substituted with the words “Every asset management company”.

XXII. In regulation 59A, the words “A mutual fund” shall be substituted with the words “An asset management company”.

XXIII. In the First Schedule, in Form C,-

iii. in clause (1), the words “trust company”, wherever appearing, shall be substituted with the words “trustee company”;

iv. clause (3) shall be omitted.

XXIV. In the Seventh Schedule, in clause 9, after sub-clause (c), the following proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that for the private equity fund or a pooled investment vehicle or a pooled investment fund acting as sponsor of mutual funds, the associate or group company shall also include,-

a. associate or group company of the manager of any pooled investment vehicle; or

b. investee companies in which the shareholding of ten percent or more is held by the schemes or funds managed by manager of the pooled investment vehicle; or

c. any investee company in which the pooled investment vehicle holds more than ten percent shareholding or where the directors of the pooled investment vehicle or corporate sponsor has representation on the board or right to nominate representatives on the board .”

XXV. In the Eighth Schedule, in clause (g), in the proviso, the words “Board of Trustees and the Board” shall be substituted with the words “the board of directors of the trustee company and the board of directors”.

XXVI. In the Eleventh Schedule,-

- i. in clause 1, in sub-clause (i) and sub-clause (iv), the words “Board of Trustees” shall be substituted with the words “trustee company”;
- ii. in clause 5, in sub-clause (i) the words “Board of Trustees” shall be replaced with the words “trustee company” and the word “unitholders” shall be substituted with the words “unit holders”.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./225/2023-24]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on December 9, 1996 vide S.O. No. 856 (E).

2. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended—

- (1) On April 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.327 (E).
- (2) On January 12, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.32 (E).
- (3) On December 8, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.1223 (E).
- (4) On March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.235 (E).
- (5) On March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278 (E).
- (6) On May 22, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.484 (E).
- (7) On January 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.69 (E).
- (8) On May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476 (E).
- (9) On July 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.698 (E).
- (10) On February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.219 (E).
- (11) On June 11, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.625 (E).

- (12) On July 30, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.809 (E).
- (13) On September 9, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.956 (E).
- (14) On September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045 (E).
- (15) On May 29, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 632 (E).
- (16) On January 12, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2004 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/4/2004.
- (17) On March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398 (E).
- (18) On January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 38 (E).
- (19) On May 22, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 783 (E).
- (20) On August 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1254 (E).
- (21) On December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/82534/2006.
- (22) On December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/83065/2006.
- (23) On May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/2518.
- (24) On October 31, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/4646.
- (25) On March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669.
- (26) On April 16, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. LADNRO/ GN/2008/03/123042.
- (27) On May 22, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide no. LADNRO/GN/2008/09/126202.
- (28) On September 29, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/ GN/2008/24/139426.
- (29) On April 8, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/01/159601.
- (30) On June 5, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD- NRO/GN/2009-10/07/165404.
- (31) On July 29, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/13/13945.
- (32) On August 30, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/27668.

- (33) On February 21, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/38/4290.
- (34) On September 26, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/17/21502.
- (35) On April 16, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/03/5652.
- (36) On June 19, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/12/6108.
- (37) On August 19, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/18/6384.
- (38) On May 6, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/01/1039.
- (39) On May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (40) On December 30, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/19/1973.
- (41) On May 15, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2015 No. NROOIAE/GN/2015-16/005.
- (42) On February 12, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/034.
- (43) On February 15, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/031.
- (44) On March 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/02.
- (45) On May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/14.
- (46) On December 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/50.
- (47) On December 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/51.
- (48) On January 1, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/01.
- (49) On April 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/011.
- (50) On September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/37.
- (51) On March 6, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/07.
- (52) On April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (53) On October 29, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/39.

-
- (54) On February 4, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/08.
 - (55) On August 3, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - (56) On August 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/36.
 - (57) On November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/56.
 - (58) On January 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/70.
 - (59) On August 3, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/92.
 - (60) On November 16, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/106.